फाइल संख्या-1/1/2008-आईसी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 22 मई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पूर्व-संशोधित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि दिया जाना - दिनांक 19.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन के बारे में स्पष्टीकरण|

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के दिनांक 19.03.2012 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार के जिन कर्मचारियों को फरवरी-जून, 2006 के बीच वार्षिक वेतनवृद्धि मिलनी थी, उन्हें एकबारीय उपाय के रूप में पूर्व-संशोधित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को एक वेतनवृद्धि प्रदान की जाए और उसके पश्चात् संशोधित वेतन संरचना में उन्हें अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2006 को मिलेगी|

2. इस मंत्रालय के दिनांक 30.08.2008 के का.ज्ञा.सं. 1/1/2008-आईसी के अनुसार, अनुलग्नक-| फिटमेंट तालिकाएं में दी गई हैं जो विभिन्न पूर्व-संशोधित वेतनमानों में पूर्व-संशोधित वेतन के प्रत्येक स्तर के संदर्भ में संशोधित वेतन बैंड में संशोधित वेतन के स्तर विनिर्दिष्ट करती हैं| फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार, वेतन बैंड में संशोधित वेतन के स्तर का उल्लेख कतिपय पूर्व-संशोधित वेतनमानों के मामलों में वेतन के दो क्रमिक पूर्व-संशोधित स्तरों के संबंध में एक ही स्तर पर किया गया है|

3. मंत्रालय को पत्र प्राप्त होते रहे हैं कि ऐसे मामलों में जहां फिटमेंट तालिका में किसी विशेष पूर्व-संशोधित वेतनमान में दो क्रमिक पूर्व-संशोधित स्तरों के मामले में समान संशोधित स्तर का प्रावधान है, क्या उन मामलों में इस मंत्रालय के दिनांक 19.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन के तहत पूर्व-संशोधित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने के पश्चात् समूहन का लाभ दिया जा सकता है|

4. मामले पर विचार किया गया है और स्पष्ट किया जाता है कि संशोधित संरचना में वेतन निर्धारण के लिए दिनांक 30.08.2008 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित फिटमेंट तालिका का किसी परिवर्तन के बगैर कड़ाई से अनुपालन किया जाए|

5. ऐसे मामलों में जहां दिनांक 30.08.2008 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित फिटमेंट तालिका के अनुसार संशोधित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण के स्तरों में, तदनुरूप पूर्व-संशोधित वेतनमानों में पूर्व-संशोधित वेतन के दो क्रमिक स्तरों के संदर्भ में वेतन बैंड में समान संशोधित स्तर का प्रावधान है, तो ऐसे मामलों में इस मंत्रालय के दिनांक 19.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन के लागू होने के कारण दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार संशोधित वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि पूर्व-संशोधित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि की गणना करने के पश्चात् पूर्व-संशोधित वेतनमान के संदर्भ में संशोधित स्तर में फिटमेंट तालिका के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता| यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में किसी और समूहन की अनुमति नहीं होगी और 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार संशोधित वेतन में वेतन का पुन: निर्धारण स्वीकार्य नहीं होगा|

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सुश्री ममता कुन्द्रा, संयुक्त सचिव (स्थापना), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. निदेशक (जेसीए), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया जाए|